खण्ड–16, अंक–1
गुरुवार, 30 चैत्र, शक संवत् 1928
(20 अप्रैल, 2006 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–:0:–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2006)

(खण्ड 16 में 1 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य :

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति ...	...	क
जेट्रोफा रोपण में हुई अनियमितताओं तथा सरकारी विभागों में आरक्षण के पद भरे जाने के सम्बन्ध में भाजपा एवं बसपा सदस्यों द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास ...	...	01—07
प्रश्नोत्तर ...	...	07—09
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	...	09—10
जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड की भांति अन्य विकास खण्डों में निवासरत् "महर/गूजर महरा" जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	10
राजकीय महाविद्यालय, लक्सर में अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	10—11
जनपद पिथौरागढ के तहसील व वि0खं0 गंगोलीहाट क्षेत्र के ग्राम रैंतोला में सरयू नदी से विद्युत पम्पिंग योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	11
वि0खं0 भीमताल के अन्तर्गत ल्वैशाल एवं सुई पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	12
तहसील गंगोलीहाट (पिथौरागढ) के ग्राम जाख की श्रीमती राधिका देवी पुत्री श्री बहादुर सिंह को न्यायालय द्वारा आदेशित भरण-पोषण भत्ता की राशि की वसूली राजस्व विभाग द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	12
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत अन्तर्गत ताड़ीखेत वि0खं0 के अन्तर्गत गाड़ी-चौना क्षेत्र मे चिकित्सालय भवन के शीघ्र निर्माण हेतु निर्देश देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	13
कुमायूँ मण्डल विकास निगम के उपक्रम ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड, काठगोदाम के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	13—14
विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में ढेला एवं कोसी नदियों में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति एवं बहुत बड़े क्षेत्र में होने वाली दैवीय आपदा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	14—15

विषय		पृष्ठ संख्या
वन प्रभाग केदारनाथ के जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में स्थित रेंज को वन प्रभाग रुद्रप्रयाग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	15
के0 एल0 पॉलिटेक्निक, रुड़की में प्रवक्ताओं के पदों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	15
जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 चौखुटिया में भारी वर्षा के कारण रामगंगा नदी के किनारे एवं खचार नाले से उपजाऊ भूमि के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	15–16
देहरादून महानगर के अन्तर्गत वार्ड–11 के राजीव नगर नाला, रिस्पना नगर, नेहरू कॉलोनी के "जी" व "एच" ब्लॉक की नालियों की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	16
जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी में स्थित क्षतिग्रस्त होकरा पेयजल योजना की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	16
जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत वि0खं0 अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ककोड़ाखाल में लिफ्ट पम्पिंग सैट योजना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	17
जनपद चमोली के वि0खं0 घाट में रा0 महाविद्यालय खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	17
प्रदेश की घोषित नजूल नीति के क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	17–18
जनपद चमोली के गैरसैंण वि0खं0 के अन्तर्गत ग्राम सभा मैखोली में बन्द पड़ी लघु सिंचाई हाईड्रम योजना की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	18
जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सिलोगी, करथी, घनशाली, खैण्डूडी, पैटगाखेत, जसपुर आदि गाँवों में व्याप्त घोर पेयजल संकट हेतु समीप के गधेरे से सिलोगी पम्पिंग योजना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	18–19
जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील मुख्यालय प्रतापनगर में उपकोषागार खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका	...	19
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में चिकित्सालय भवनों के निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में याचिका	...	19

विषय		पृष्ठ संख्या
जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पटुवाडांगर से बसगाँव तक कच्ची रोड को पक्का करने के सम्बन्ध में याचिका	...	19
जनपद नैनीताल के गेठिया सिंचाई योजना को आरम्भ करवाने के सम्बन्ध में याचिका	...	20
जनपद नैनीताल के ग्राम पंचायत चोपड़ा वि0खं0 भीमताल के जूनियर हाई स्कूल से सिमलखेत, नौलिया खरक व ईड़ा ग्राम तक पक्का रास्ता व इस बीच में पुलिया व कांजवे निर्माण के सम्बन्ध में याचिका	...	20
जनपद नैनीताल में दुर्गापुर पन बिजलीघर को पुनः आरम्भ करने के सम्बन्ध में याचिका	...	20
जनपद नैनीताल के रूना मोरा में सामूहिक सिंचाई गूल को पक्का करने के सम्बन्ध में याचिका ...	...	20
जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट से गेठिया वाया गांजा होते हुए मार्ग के मध्य बलियानाले में ढाकाखेत के निकट पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में याचिका	...	21
जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया वि0खं0 के अन्तर्गत झलाघाट नामक स्थान पर झलाघाट पम्पिंग योजना स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका	...	21
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग टिहरी बौराड़ी के अधीन मगरौं–कोटी–माणिक नाथ मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका	...	21
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	21
वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05 निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा आय सेवायें विभाग, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग	...	22–24
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 (पुरःस्थापन एवं पारण)	...	24–29
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	29

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पिथौरागढ़ के वि०खं० गंगोलीहाट के ग्राम नागधूणा में विद्युत आपूर्ति नियमित न रहने तथा विद्युत सम्बन्धी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में श्री नारायण राम आर्य, सदस्य वि०स० द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 06 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	30
जनपद चमोली के वि०खं० पोखरी के ग्राम पंचायत रड़ुवा के हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट स०वि०स० द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 06 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य ...	30
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने विषयक प्रस्ताव	30—31

क

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4—श्री अरविन्द पाण्डे
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह
15—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
16—श्री चन्द्रशेखर
17—श्री जोत सिंह
18—श्री तसलीम अहमद
19—श्री तिलक राज बेहड़
20—श्री तेजपाल सिंह रावत
21—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22—श्री नव प्रभात
23—श्री नारायण पाल
24—श्री नारायण राम आर्य
25—श्री नारायण सिंह जंतवाल
26—काजी निजामुद्दीन
27—श्री प्रकाश पंत
28—श्री प्रदीप टम्टा
29—श्री प्रीतम सिंह
30—श्री प्रीतम सिंह पंवार
31—श्री प्रेमानन्द महाजन
32—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
33—श्री फूल सिंह बिष्ट
34—श्री बलबीर सिंह नेगी
35—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
36—श्री बिशन सिंह चुफाल
37—श्री मदन कौशिक
38—श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
39—श्री महेन्द्र भट्ट
40—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
41—श्री मातबर सिंह
42—श्री माल चन्द्र
43—चौ0 यशवीर सिंह
44—श्री रणजीत सिंह
45—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
46—श्री शूरवीर सिंह
47—श्री साधू राम
48—श्री सुबोध उनियाल
49—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
50—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
51—श्री सुरेश चंद
52—डा0 हरक सिंह रावत
53—श्री हरबंस कपूर
54—श्री हरभजन सिंह चीमा
55—श्री हरीदास
56—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
57—श्री हीरा सिंह बिष्ट
58—श्री हेमेश खर्कवाल
59—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

जेट्रोफा रोपण में हुई अनियमितताओं तथा सरकारी विभागों में आरक्षण के पद भरे जाने के सम्बन्ध में भाजपा एवं बसपा सदस्यों द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाये जाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक कैबिनेट मंत्री जी ने दूसरे मंत्री के खिलाफ लिखा है कि जेट्रोफा घोटाला बिहार के चारा घोटाले से अधिक गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, आप कृपया बैठकर अपनी बात कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर बात नहीं हो सकती है।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है ? मंत्री परिषद् के सदस्य स्वयं इस घोटाले को प्रमाणित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, नियम 311 में सुन लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें लिखकर दिया है कि बिहार के चारा घोटाले से बड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष–

सूचना का आधार क्या है?

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, आपके सामने प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष--

सूचना का आधार दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, अखबार में है।

श्री अध्यक्ष--

अखबार में छपी सूचनाओं का संज्ञान नहीं लेते हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप जानते हैं कि अखबार की सूचना का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, यह बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला है इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

चर्चा हो चुकी है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा, कृपया बैठ जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, गम्भीर मामला है, इसको नियम 311 में सुन लें। नियमावली के अन्तर्गत नियम 311 की सूचना दी है। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है तो मेरा निवेदन है कि इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप सुस्पष्ट जानकारी दे दें, आप तथ्य दें, आप आधार दें तो मैं सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, जेट्रोफा बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आप तथ्य दे दें मैं सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, चर्चा होगी तो सब चीजें आ जायेंगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर–जोर से पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमने इसमें पत्रांक संख्या दी है यह बात हमने प्रश्न काल में भी उठायी थी। इसमें रु0 01 करोड़ 88 लाख 19 हजार 983 के पौधे खरीदे गये और रु0 1560 लाख 13 हजार 25 की खाद खरीदी गई। मान्यवर, इसकी जाँच करायी जाय, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें और जिस पत्र का उल्लेख हमने अपनी सूचना में किया उसको मंगायें। मान्यवर, चूँकि 56 घोटाले हुए हैं। यह बिहार के चारे घोटाले से भी बड़ा घोटाला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे, उत्तरांचल का जेट्रोफा घोटाला और बिहार का चारा घोटाला। जेट्रोफा घोटाले की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 56 घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, राज्य के एक कबीना मंत्री द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र संख्या 5940/वी0आई0पी0/06 दिनांक 26 मार्च, 2006 के माध्यम से वन विभाग द्वारा जेट्रोफा रोपड़ में की गयी अनियमितताओं को उजागर किया है। मान्यवर, रु0 01 करोड़ 88 लाख 19 हजार 983 पौधे खरीदे गये और 01 करोड़ 60 लाख 13 हजार 25 रुपये की खाद खरीदी गयी। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय श्री मातबर सिंह, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री कैलाश शर्मा तथा अन्य माननीय सदस्यों की प्राप्त हुई है। जो राज्य में जेट्रोफा रोपण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। सूचना का आधार क्या है ? इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्यों के पास उसकी प्रति है तो वह मुझे उपलब्ध करा दें। समाचार पत्र को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। आप 289 (क) के तहत सूचना दे दें। मैं इसे नियम 311 के अन्तर्गत उठाने

की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। दूसरी सूचना माननीय श्री हरीदास, श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की है जो राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में आरक्षण के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है। इस पर कल सदन में चर्चा हो चुकी है फिर भी मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूँ। मैं इसे नियम 311 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम नियम 311 में सूचना दे चुके हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे–उत्तरांचल का जेट्रोफा घोटाला और बिहार का चारा घोटाला, जेट्रोफा घोटाले की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 56 घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, एक कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाया गया है। यह बिहार के चारे घोटाले से बड़ा घोटाला है। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक कबीना मंत्री ने दूसरे मंत्री पर आरोप लगाया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है। पूरे प्रदेश की जनता को हमें उत्तर देना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना का आधार दे दें। मैं सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम तो विपक्ष के लोग हैं हमारा तो नैतिक दायित्व है कि हम सदन में इसे उठायें। मान्यवर, हम शान्तिपूर्वक आपसे आग्रह कर रहे हैं, हम "वेल" में भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आएंगे। यद्यपि मैं "वेल" में आने को अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। मान्यवर, प्रदेश की जनता का संरक्षण आपके हाथ में है। आप इस पर चर्चा करायें इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। कभी तीन मंत्री लिखते हैं, कभी एक मंत्री लिखता है। जब मंत्री ने लिखा है तो उसका भी तो कोई कारण होगा। यह पत्र किसने लिखा और किसको लिखा, यह सामने आना चाहिए। 1 करोड़ 88 लाख 19 हजार 983 जेट्रोफा के पौधे लगाये गये और। करोड़ 60 लाख 13 हजार 25 रुपये की खाद खरीदी गयी। जबकि यह जेट्रोफा तो ऊसर आदि किसी भी जमीन में उग जाता है। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर आरोप लगाये हैं, इससे पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गयी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को पूर्वाह्न 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:30 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकरण पर नियमों का निलम्बन कर चर्चा कराई जानी चाहिए, यह हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि आप स्पष्ट प्रमाण और आधार दे दें। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, चर्चा कराये जाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज से पहले ऐसे विषयों पर चर्चा के लिए किसी भी माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण नहीं मांगे गये। अगर हमें यह मालूम होता तो हम प्रमाण–पत्र लेकर आते।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप स्पष्ट आधार और प्रमाण लेकर आयें तो मैं सुन लूँगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसी माननीय सदन में इससे सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि 1 करोड़ 88 लाख पौधे जेट्रोफा के रोपित किये गये और इसके लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपये की खाद खरीदी गई। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ? मेरा अनुरोध है कि इस पर नियमों और निलम्बन कर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, आप तो बहुत अनुभवी और विद्वान सदस्य हैं। मैंने आपसे कहा भी है कि आप स्पष्ट प्रमाण ले आयें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे "दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी", "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, इस प्रकरण पर माननीय मंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन आ गया है। फिर भी मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि इसको पुनः दिखवा लिया जाय।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वैल" में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। प्रश्न काल आपका है, प्रश्न काल होने दें।

("वेल" में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य पूर्ववत नारे लगाते रहे तथा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य भी नारे लगाने लगे– "बिहार में चारा घोटाला, उत्तरांचल में जेट्रोफा घोटाला", "2 करोड़ 35 लाख के घोटाले का पर्दाफाश करो, पर्दाफाश करो", घोटाले की सी0बी0आई0 जांच कराओ, जांच कराओ", दोषी मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो", "मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो" "56 घोटालों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने इस प्रकरण पर पहले भी कहा है कि आप स्पष्ट प्रमाण ले आयें।

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत द्वारा वेल में खड़े होकर कहा गया– मान्यवर, इस घोटाले के प्रमाण यहाँ पर आ चुके हैं और जब माननीय मंत्रीगणों द्वारा इसे हाईलाइट किया गया तो इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या हो सकता है?)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, प्रश्न काल होने दें।

(वैल में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे– "बिहार में चारा घोटाला, उत्तरांचल में जेट्रोफा घोटाला"। "दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी"।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 1:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

तारांकित प्रश्न

अमेरिका के सेब की प्रजातियों एवं प्रदेश की उन्नत किस्म की प्रजातियों में भिन्नता एवं इनके उन्नयन की योजना

*1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

1. क्या उद्यान मंत्री जी अवगत हैं कि वर्ष 2004–05 में अमेरिका से सेब की कुछ प्रजातियाँ उत्तरांचल लायी गयी थी?

2. यदि हाँ, तो ये प्रजातियाँ राज्य में पाई जाने वाली उन्नत किस्म की प्रजातियों से किस मायने में भिन्न है ?

3. क्या ये प्रजातियाँ इस क्षेत्र में विकसित हो पायेंगी ?

4. यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में उपलब्ध उन्नत सेब की प्रजातियों के उन्नयन के लिए कोई योजना बना रही है ?

5. यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)–

जी हाँ।

वर्ष 2004–05 में सेब की उन्नतशील किस्म की 12 प्रजातियों के 120 सेब पौधे तथा 04 प्रजातियों के 100 स्टाक रूट मंगाए गये थे, तथा इन पौधों को परीक्षण के तौर पर शोध केन्द्र चौबटिया, रानीचौरी तथा ज्योलीकोट में लगाये गये हैं। ये पौधे राज्य में पाई जाने वाली प्रजातियों से कितनी भिन्न हैं, इसका आंकलन इन पौधों में फल आने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

परीक्षण जारी है, फलोत्पादन होने के उपरान्त ही इसका आंकलन किया जा सकेगा। अब तक के परीक्षण के आधार पर पौधे अच्छी बढ़त में पाए गये हैं।

फलोत्पादन के आंकलनोपरान्त राज्य की जलवायु के अनुकूल अच्छी फसल एवं उच्च गुणवत्ता पाए जाने की दशा में ही इन पौधों के वृहद प्रसारण की योजना बनाई जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट–उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रदेश में जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु व्यावसायिक कृषिकरण की योजना का स्वरूप

*2–श्री मदन कौशिक–

1. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा व्यावसायिक कृषिकरण की कोई योजना बनाई गई है?

2. यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

राज्य की विविध जलवायु तथा विभिन्न ऊँचाई वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक कृषिकरण द्वारा जड़ी–बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है :–

1. राज्य की विविध जलवायु तथा विभिन्न ऊँचाई के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वृहद स्तर पर कृषिकरण हेतु 26 महत्वपूर्ण प्रजातियाँ क्रमशः अतीस, कुटकी, कूठ, जटामांसी, चिरायता, वनककड़ी, फरण, कालाजीरा, पाईरेथ्रम, तगर, मंजीष्ठ, बड़ी ईलायची, पत्थरचूर, लेमनग्रास, रोजमेरी, जिरेनियम, सर्पगंधा, कलिहारी, सतावर, स्टीविया, सीलिबम, पीपली, अमीमेजस, तिलपुष्पी, कैमोमाईल एवं ब्राम्ही चयनित की गई हैं, जिनके कृषिकरण लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है।

2. प्रदेश में काश्तकारों द्वारा सगन्ध पौधों का कृषिकरण किया जा रहा है। सगन्ध पौधों के प्रसंस्करण हेतु काश्तकार समूहों को आसवन यूनिट की स्थापना के लिए वर्ष 2006 तक 95 प्रतिशत, वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत तथा उसके पश्चात् 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

3. काश्तकारों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, उनके उत्पाद की निकासी व विपणन को सुगम बनाने तथा प्रदेश स्तर पर डाटाबेस तैयार करने हेतु काश्तकारों के पंजीकरण की व्यवस्था भी की गयी है।

4. विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शासन द्वारा ऋषिकेश, रामनगर व टनकपुर में जड़ी–बूटी मण्डियां स्थापित की गयी हैं, जिनमें वनों से संग्रहीत जड़ी–बूटियों एवं कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटियों का विपणन किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न

उ0प्र0 की भाँति प्रदेश में कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना

1–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0प्र0 की भाँति उत्तरांचल में भी कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की नयी सूची में सूचीबद्ध नहीं है और न ही यह निगम, धारा 66 एवं 67 से आच्छादित है। अतः उत्तरांचल में निगम की स्थापना करने का निर्णय पूर्व में ही अस्वीकृत किया जा चुका है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 01:00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आसन ग्रहण करें।..... (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात को जोर-जोर से कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आसन ग्रहण करें। सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने में अपना सहयोग दें।..... (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी का आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसे नियम 311 में सुन लिया जाए। सदन ठीक से चले, बजट सत्र चल रहा है इसमें व्यवधान उचित नहीं। आप ग्राह्यता पर सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री प्रीतम सिंह पंवार, दूसरी सूचना कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", तीसरी सूचना श्री नारायण राम आर्य, चौथी सूचना श्री नारायण सिंह जन्तवाल, पाँचवीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी, छठी सूचना श्री अजय भट्ट, सातवीं सूचना श्री प्रकाश पंत, आठवीं सूचना श्री हरभजन सिंह चीमा, नौवीं सूचना श्री मातबर सिंह, दसवीं सूचना श्री मदन कौशिक, ग्यारहवीं सूचना पुष्पेश त्रिपाठी,

बारहवीं सूचना श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, तेरहवीं सूचना श्री बिशन सिंह चुफाल, चौदहवीं सूचना श्रीमती आशा देवी, पन्द्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र भट्ट, सोलहवीं सूचना श्री हरबंस कपूर, सत्रहवीं सूचना श्री अनिल नौटियाल और आखरी सूचना श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायं।

जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खण्ड की भाँति अन्य विकास खण्डों में निवासरत् "महर/गूजर महरा" जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

[मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में निवासरत् महर/गूजर महरा जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया गया है। जबकि अन्य विकास खण्डों–डूण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगाँव, पुरोला और मोरी के किन्हीं–किन्हीं गाँवों में रहने वाली महर/गूजर महरा जाति को सम्मिलित किए जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के खालसी, नागणी, जोखणी इत्यादि गाँवों में भी "महर/गूजर महरा" जाति के लोग निवास करते हैं। सन् 1960 से पूर्व व 1960 के राजस्व अभिलेखों में "महर/गूजर महरा" जाति शब्द का उल्लेख है। विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के मौजा खालसी, नागणी, जोखणी आदि गाँवों के अलावा अन्य खण्डों के गाँवों में निवासरत् "महर/गूजर महरा" जाति के लोगों द्वारा पिछड़ी जाति में विकास खण्ड भटवाड़ी की भाँति सम्मिलित किए जाने की मांग की जा रही है। इसलिए पूरे जनपद में इस जाति का चिन्हांकन कर पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः इस व्यापक लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

राजकीय महाविद्यालय, लक्सर में अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र "लक्सर" में कठिन प्रयास के पश्चात् गत पाँच वर्ष पूर्व राजकीय महाविद्यालय हमारे द्वारा स्वीकृत कराया गया। यह इस विशाल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में एक मात्र डिग्री कालेज है। लेकिन प्रारम्भ से लेकर अब तक यहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं का घोर अभाव रहा। स्वास्थ्य विभाग के रिक्त जर्जर भवन में यह कार्यरत है। जहाँ पर कोई बाउन्ड्री नहीं है, लघुशंका, शौच आदि का कोई उपयुक्त स्थान नहीं है, पेयजल की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षण कक्ष, स्टाफ रूम, प्राचार्य कार्यालय, पुस्तकालय–वाचनालय, विषयों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुस्तकें, खेल–क्रीड़ा सामान अथवा प्ले ग्राउन्ड आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र–छात्रायें एवं शिक्षकगण अत्यन्त खराब स्थिति में पुराने जीर्ण–शीर्ण, कक्षों में मजबूरी वश किसी तरह पठन–पाठन कार्य की औपचारिकता पूर्ण कर रहे हैं, जिससे अभिभावक एवं क्षेत्रवासी अत्यंत चिन्तित हैं।

इस संस्थान में कला वर्ग के लगभग सभी विषय मौजूद होने के बावजूद किसी भी विषय का स्थायी अध्यापक नहीं है। कोई पुस्तकालय कर्मचारी नहीं है एवं लक्सर राजकीय महाविद्यालय में एन0सी0सी तथा एन0एस0एस0 की यूनिटें भी नहीं हैं। शिक्षण कार्य पाँचवें वर्ष में भी लक्सर राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0 एवं बी0एससी0 वर्ग की फैकल्टी नहीं होने से तथा एम0ए0 (व्यक्तिगत) का परीक्षा केन्द्र न होने के कारण इस वर्ग के विद्यार्थियों को काफी दूर जैसे रुड़की, हरिद्वार आदि स्थानों पर अध्ययन/परीक्षा हेतु जाना पड़ता है, जिससे छात्राओं को अत्यधिक कठिनाई झेलनी पड़ती है। जनहित में यह अत्यन्त आवश्यक है, कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इस अति–पिछड़े खादर क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन हेतु लक्सर राजकीय महाविद्यालय की उपरोक्त समस्याओं के हल हेतु शासन द्वारा अविलम्ब जर्जर भवन गिराकर सुचारु एवं उपयुक्त भवन का निर्माण कराया जाए तथा संस्थान में कला वर्ग के साथ–साथ विज्ञान विषय भी प्रारम्भ किये जावें, जिनके लिये उपयुक्त संख्या में लेक्चरर नियुक्त हों। लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रकरण पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील व वि0खं0 गंगोलीहाट क्षेत्र के ग्राम रैतोला में सरयू नदी से विद्युत पम्पिंग योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण राम आर्य–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के तहसील व विकास खण्ड गंगोलीहाट क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रैतोला में पर्याप्त उपजाऊ कृषि भूमि है। पूर्व में इस गाँव में रबी–खरीफ तथा जायद की फसल उगाई जाती थी। जिस गधेरे से यहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था उससे पहले के सलाण गाँव के लिए पक्की गूल बनाये जाने के कारण इस गाँव के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं है। गत वर्ष जायद की फसल नहीं उगाई जा सकी। लघु सिंचाई विभाग ने इस गाँव से बहती हुई सरयू नदी से एक बहुत ही कम हॉर्स पावर का पोर्टेबल पम्प लगाया, वह काम नहीं करता है तथा नदी से पानी नहीं उठा पाने के कारण बन्द है।

इस गाँव में सरयू नदी से विद्युत पम्पिंग सिंचाई योजना की महती आवश्यकता है। गाँव यातायात मोटर मार्ग सुदूर क्षेत्र का पिछड़ा गाँव है, निवासियों की एकमात्र आजीविका का साधन कृषि ही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक हित के प्रकरण पर सिंचाई विभाग द्वारा सरयू नदी से विद्युत पम्पिंग योजना स्वीकृत किये जाने की मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वि0खं0 भीमताल के अन्तर्गत ल्वैशाल एवं सूई पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

[मान्यवर, जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्रीष्म ऋतु में स्रोत के स्राव में अधिक कमी हो जाती है। क्षेत्रवासियों को पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के अन्तर्गत भीमताल–भवाली मार्ग में अधिकांश भूमि पर आवासीय भवनों का निर्माण विगत वर्षों में काफी हो जाने से पेयजल की मांग निरन्तर बढ़ रही है। पेयजल के स्रोतों में कमी है जो निरन्तर घट रही है। ल्वैशाल के आस–पास अन्य क्षेत्र जैसे गोबरियाखान, हिम्मतपुर, डोब, देवियाधार, टमटयूड़ा, नगारीगाँव, महेरागाँव क्षेत्र की एवं सूयीगाँव में नदी पम्पिंग स्कीम से क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनी नलकूप का निर्माण अति आवश्यक है। ल्वैशाल गाँव में आवश्यक क्षमता का जलाशय निर्माण कर आवश्यकतानुसार वितरण प्रणाली का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः जनहित से जुड़े इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि ल्वैशाल पेयजल व सूई पेयजल का सुदृढ़ीकरण स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाय।]

तहसील गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) के ग्राम जाख की श्रीमती राधिका देवी पुत्री श्री बहादुर सिंह को न्यायालय द्वारा आदेशित भरण–पोषण भत्ता की राशि की वसूली राजस्व विभाग द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

[मान्यवर, तहसील गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) के ग्राम जाख की परित्यक्ता राधिका देवी पुत्री श्री बहादुर सिंह को न्यायालय द्वारा रु0 36000 (छत्तीस हजार) का भरण पोषण भत्ता उसके पति के माध्यम से दिए जाने का आदेश दिया गया था। इस धनराशि को राजस्व विभाग द्वारा वसूल कर राधिका देवी को दिया जाना था, किन्तु कई बार प्रार्थना करने के बाद भी यह भुगतान प्रार्थिनी को नहीं किया गया है। राजस्व विभाग के सम्बन्धित पट्टी पटवारी एवं कानूनगो जानबूझकर यह वसूली नहीं कर रहे हैं और राधिका देवी व उसके रिश्तेदारों को धमकी भी दे रहे हैं कि वसूली के लिए दबाव न डालें। यह भी शिकायत है कि राधिका देवी का पति किसी महिला के साथ अवैध रूप से तहसील मुख्यालय में ही रहता है जिसकी शिकायत करने पर भी राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत अन्तर्गत ताड़ीखेत वि0खं0 के अन्तर्गत गाड़ी–चौना क्षेत्र में चिकित्सालय भवन के शीघ्र निर्माण हेतु निर्देश देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

[मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील की ताड़ीखेत विकास खण्ड के अन्तर्गत गाड़ी–चौना क्षेत्र में चिकित्सालय का भवन बनाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। क्षेत्र के लोगों ने चिकित्सालय बनाने हेतु भूमि का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। कुछ समय पूर्व भवन के स्थल को लेकर विवाद था परन्तु अब सुलझा लिया गया है। विवाद सुलझने के बावजूद भी आज तक भवन निर्माण हेतु धन आवंटित नहीं किया गया है। कई बार विभाग से उक्त चिकित्सालय का भवन बनाने हेतु कहा गया परन्तु कोई कार्यवाही न होने के कारण ही इसे आज सदन के सम्मुख रखना पड़ा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को गाड़ी–चौना चिकित्सालय के शीघ्र निर्माण हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।]

कुमायूँ मण्डल विकास निगम के उपक्रम ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड, काठगोदाम के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तार्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

[मान्यवर, ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड, काठगोदाम की स्थापना वर्ष 1973 में लघु क्षेत्र की एक इकाई के रूप में की गयी थी। कुमायूँ मण्डल विकास निगम द्वारा वन विभाग की 6 एकड़ लीज भूमि पर इकाई स्थापित की गयी थी। वर्तमान में लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्थापित कार्यशाला तथा कार्यालय में 2 वायर ड्राइंग मशीन, 3 मशीनें, 7 स्टैण्ड्स तथा 37 स्टैण्ड्स मशीनें हैं। उक्त मशीनों की बुक वैल्यू लगभग बीस लाख रु0 है। वर्तमान में इस इकाई की अधिकृत अंशपूँजी 1.75 करोड़ रु0 है जिसके सापेक्ष प्रदत्त अंशपूँजी 1.63 करोड़ रु0 है। इकाई में सरकार द्वारा 99.73 प्रतिशत से अधिक के अंश विनियोजित किये गये हैं। इकाई में विगत वर्ष में 60 से अधिक कर्मचारी नियमित रूप से नियोजित रहे परन्तु इकाई की उत्तरोत्तर खराब स्थिति के कारण वर्ष 2000 में कुछ कर्मचारियों द्वारा वी0आर0एस0 ले लिया गया। धनाभाव के कारण वर्ष 2000 से कम्पनी का उत्पादन शून्य रहा है। प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया था कि इकाई के कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाय एवं शेष कार्मिकों को छंटनीशुदा कर्मचारी घोषित करने की कार्यवाही की जाये। जिसके आधार पर 23 कार्मिकों को सेवानिवृत्ति दे दी जाय एवं शेष कार्मिकों को छंटनीशुदा कर्मचारी घोषित करने की कार्यवाही की जाये। जिसके आधार पर 23 कार्मिकों ने सेवानिवृत्ति हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। जबकि शेष 23 कार्मिकों को छंटनीशुदा घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया। इन छंटनीशुदा कर्मचारियों को विगत नौ माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनका परिवार भुखमरी की स्थिति में है। इन 23 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी मृतक आश्रित हैं जिन्होंने एक वर्ष से 5 वर्ष तक की ही सेवा की है। शेष कर्मचारियों की 12 वर्ष से 25 वर्ष तक की सेवा शेष है। इन्हें वी0आर0एस0

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से या छंटनी से जीवन यापन लायक धनराशि प्राप्त नहीं हो पायी है। इन समस्त कर्मचारियों को टैली ट्रानिक्स, हार्टिको, हिल्ट्रान आदि बन्द उद्योगों के कार्मिकों की भाँति अन्य विभागों में समायोजित करने की मांग की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सभी ट्रान्स केबिल्स लि0 के छंटनीशुदा कार्मिकों को अन्य विभागों में समायोजित करने तथा उनके अवशेष देयों का भुगतान करने की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में ढेला एवं कोसी नदियों में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति एवं बहुत बड़े क्षेत्र में होने वाली दैवीय आपदा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरभजन सिंह चीमा–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में बह रही ढेला एवं कोसी नदियों में पिछले वर्ष बरसात में आई बाढ से काशीपुर शहर का लक्ष्मीपुर पट्टी एव बैलजुड़ी का क्षेत्र जलमग्न हो गया था तथा ग्राम जगन्नाथ पुर, रायपुर, अजीतपुर, नरतार नगर के किसानों को खेती सहित अराजी का बड़े रूप में कटान हुआ था इससे उत्पन्न स्थिति का स्थल निरीक्षण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों सहित जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा किया गया था एवं शहरी क्षेत्र की जनता तथा ग्रामीण किसानों को आने वाली बरसात से पूर्व समाधान का आश्वासन दिया गया था।

महोदय, समस्या के समाधान के प्रति सिंचाई कार्य मण्डल नैनीताल के द्वारा बनाए गए प्रस्तावों को उत्तरांचल राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 9–1–06 को सम्पन्न हुई दसवीं बैठक में स्वीकृति प्रदान करने हेतु धनावंटन हेतु संस्तुति शासन को भेजी जा चुकी है, जो पिछले 3 माह से शासन में लम्बवान है। पारित प्रस्ताव निम्न हैं:–

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत ढेला नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ग्राम जगन्नाथपुर एवं रायपुर की बाढ़ सुरक्षा परियोजना यू0ए0/टी0एस0सी0/10–16;
2. जनपद ऊधमसिंह नगर में कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ग्राम अजीतपुर की बाढ़ सुरक्षा परियोजना यू0ए0/टी0एस0सी0/10–18;
3. जनपद ऊधमसिंह नगर में ढेला नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शहरी क्षेत्र लक्ष्मीपुर पट्टी एवं बैलजुड़ी की सुरक्षा हेतु परियोजना यू0ए0/टी0एस0सी0/10–19;
4. जनपद ऊधमसिंह नगर में कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ग्राम नरतार नगर की बाढ़ सुरक्षा परियोजना यू0ए0/टी0एस0सी0/10–20।

महोदय, आगामी आने वाली बरसात में प्रति बाढ़ की स्थिति के प्रति काशीपुर शहर एवं ग्रामीण जनता भारी तनाव में हैं। शासन द्वारा समय से धन आवंटन न कर विभागीय कार्यवाही बरसात से पूर्व पूरा न कराए जाने की दशा में लगभग 6 बड़े गाँव एवं काशीपुर शहर के बहुत बड़े भाग के बाढ़ की चपेट में आने की पूरी सम्भावना है, जिससे काफी बड़ी तादाद में जनहानि भी हो सकती है।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

वन प्रभाग केदारनाथ के जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में स्थित रेंज को वन प्रभाग रुद्रप्रयाग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह–

[मान्यवर, उपवन संरक्षक, वन प्रभाग केदारनाथ, गोपेश्वर जनपद चमोली की एक रेंज क्षेत्र जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस रेंज का सम्पूर्ण रेंज क्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग में पड़ता है। क्षेत्रीय जनता को अपने कार्य के लिए रुद्रप्रयाग से उपवन संरक्षक वन प्रभाग केदारनाथ–गोपेश्वर के पास जाना पड़ता है। जनता की मांग है कि वन प्रभाग केदारनाथ की जो रेंज जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में स्थित है, उसे वन प्रभाग रुद्रप्रयाग में सम्मिलित कर दिया जाय।

अतएव, मेरा मा0 अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करेंगे।]

के0एल0 पॉलिटैक्निक, रुड़की में प्रवक्ताओं के पदों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, के0एल0 पॉलिटैक्निक, रुड़की में विज्ञापन सं0 केरा0पी0एम0/सेवा/2005 के माध्यम से प्रवक्ताओं के आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये गये थे। प्रवक्ता चयन प्रक्रिया में भारी हेराफेरी कर कम योग्य एवं कम अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्ति दी गयी इसके अलावा विज्ञापन के विपरीत अधिक नियुक्ति की गयी है। प्रवक्ताओं की इस चयन प्रक्रिया को लेकर योग्य अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। इसकी शिकायत सम्बन्धित विभाग के सचिव, मंत्री जी को की गयी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अनेक योग्य अभ्यर्थी आंदोलित हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

विषय अविलम्बनीय, लोकमहत्व एवं तात्कालिक है अतः सदन में, मैं प्रभावी कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 चौखुटिया में भारी वर्षा के कारण रामगंगा नदी के किनारे एवं खचार नाले से उपजाऊ भूमि के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

[मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड चौखुटिया में भारी वर्षा के कारण रामगंगा नदी के किनारे एवं खचार नाले, कुथलाड़ नाले से निरन्तर उपजाऊ कृषि भूमि का कटाव हो रहा है। जिससे फुलई, पीपलाचार पिगौत, घन्स्यारी, पाण्डेपुर सहित कई

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्य ग्राम सभाएं जिनकी जमीन इन नालों के किनारे है, कटती जा रही है। सिंचाई विभाग व भूमि संरक्षण विभाग को कई बार इस संदर्भ में अवगत कराने के बावजूद आज तक भी उक्त भू–कटाव को रोकने, उपचार किये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतिशीघ्र अगर इस उपजाऊ सिंचित कृषि भूमि के कटाव को रोके जाने का सकारात्मक प्रयास नहीं किया जायेगा तो हजारों नाली भूमि कटने के साथ–साथ गाँवों में भी भारी आपदा की संभावना है।

अतः अविलम्बनीय इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

देहरादून महानगर के अन्तर्गत वार्ड–11 के राजीव नगर नाला, रिस्पना नगर, नेहरू कॉलोनी के "जी" व "एच" ब्लॉक की नालियों की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान देहरादून महानगर के अन्तर्गत वार्ड–11 के राजीव नगर नाला, रिस्पना नगर, नेहरू कॉलोनी के "जी" व "एच" ब्लॉक की नालियाँ गन्दगी से भरी हुई हैं, जिससे क्षेत्र में गर्मी के कारण दुर्गन्ध फैल रही है व संक्रामक रोगों का खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्षेत्रवासी नगर निगम के अधिकारियों से लगातार सफाई व्यवस्था करने व टूटी–फूटी नालियों की मरम्मत की मांग करते आ रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नगर निगम द्वारा आज तक नहीं की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी में स्थित क्षतिग्रस्त होकरा पेयजल योजना की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी के सीमान्त ग्राम होकरा जिसकी जनसंख्या 04 हजार है। यहाँ अवस्थित होकरा पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने के कारण इस क्षेत्र में पानी नहीं चल रहा है। इस क्षेत्र में 02 किलोमीटर की परिधि में दूर–दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं है। क्षेत्र में पेयजल का भारी संकट गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय जनता समय–समय पर शासन–प्रशासन को अपनी पेयजल समस्या से अवगत कराती आ रही है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत वि0खं0 अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ककोड़ाखाल में लिफ्ट पम्पिंग सैट योजना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा देवी–

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ककोड़ाखाल के लिफ्ट पम्पिंग सैट की स्वीकृति दिलाये जाने की ओर लाना चाहती हूँ। मान्यवर, क्षेत्रीय जनता विगत दो वर्षों से नरसू लिफ्ट योजना की मांग करती आ रही है। सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव भेजने के बाद विभाग द्वारा आगणन तैयार कर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के माध्यम से निदेशालय देहरादून को योजना वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली भेजी जा चुकी है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सम्बन्धित विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है। इस प्रकार विभाग की घोर लापरवाही से ग्रामीणों में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है और आन्दोलन की राह पर हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद चमोली के वि0खं0 घाट में रा0 महाविद्यालय खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भट्ट–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के सीमान्त विकास खण्ड घाट में रा0 महाविद्यालय न होने से यहाँ जनता में व्याप्त जनाक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, उप तहसील स्तर के इस विकास खण्ड में आज भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुख्यालय से 50 कि0मी0 तक की दूरी तय करनी पड़ती है।

महोदय, विकास खण्ड में इण्टर कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु महाविद्यालय न होने से आज अनेकों छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हैं। महोदय, क्षेत्रीय जनता द्वारा अनेकों बार महाविद्यालय की मांग को लेकर आन्दोलन किये गए परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे जनता आन्दोलित एवं आक्रोशित है।

महोदय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान दिलाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश की घोषित नजूल नीति के क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबंस कपूर–

[मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा 04 अगस्त, 2005 को प्रदेश की नई नजूल नीति घोषित की गयी थी। जिसके फलस्वरूप विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों को निश्चित शुल्क लेकर फ्रीहोल्ड होना था। आन्दोलनकर्ताओं द्वारा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण एवं

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्य सक्षम अधिकारी के चक्कर काटने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें आवेदन कर्ताओं ने स्वयं मूल्य निर्धारण के आधार पर निर्धारित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि सक्षम अधिकारी के समक्ष जमा करा दी है। विभागों द्वारा कार्यवाही में ढील के कारण आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है एवं अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है।

मान्यवर, लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय सूचना के माध्यम से मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित कर समस्या के समुचित समाधान की मांग करता हूँ।]

जनपद चमोली में गैरसैंण वि0खं0 के अन्तर्गत ग्राम सभा मैखोली में बन्द पड़ी लघु सिंचाई हाईड्रम योजना की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल नौटियाल–

[मान्यवर, जनपद चमोली में गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा मैखोली में लघु सिंचाई विभाग द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए एक हाईड्रम योजना निर्मित की गयी है, जिसमें काश्तकारों के खेतों में पानी पहुँचाने के लिए योजना स्थल से दोनों तरफ को नहरें भी बनी हैं, किन्तु ये नहरें अक्सर मलवा भरे होने के कारण बन्द ही रहती हैं तथा मशीनें भी खराब होने के कारण बन्द पड़ी रहती हैं, जिससे काश्तकारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सिलोगी, करथी, घनशाली, खैण्डूडी, पैटयाखेत, जसपुर आदि गाँवों में व्याप्त घोर पेयजल संकट हेतु समीप के गधेरे से सिलोगी पम्पिंग योजना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बडथ्वाल–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सिलोगी, करथी, घनशाली खैण्डूडी, पैटयाखेत, मित्रगाँव, बन्नी, बडेथ, रिगोलपाणि, जसपुर आदि गाँव घोर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। स्थान सिलोगी इस क्षेत्र का बाजार है। यहाँ पर बैंक, राजकीय इण्टर कालेज, प्राथमिक विद्यालय व कई दुकानें व आवासीय घर हैं और प्रतिदिन आने जाने वाली जनता के साथ ही यहाँ पर घनी आबादी निवास करती है, यह ऊँचे स्थान पर स्थित है जिस कारण नजदीक जलस्रोत भी नहीं है। कई बार उक्त स्थान पर बोरिंग करने के पश्चात् भी हैंडपम्प की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है। उक्त स्थान व आसपास के समस्त गाँवों में भारी पेयजल संकट व्याप्त है। लगभग 100 मी0 के नीचे तलहटी में एक गधेरा बहता है। उक्त गधेरे से पम्पिंग द्वारा उक्त स्थानों में पेयजल पहुँचाया जा सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्ब लोक महत्व की उक्त सूचना पर आकर्षित करते हुए सिलोगी पम्पिंग पेयजल योजना बनाये जाने के लिए सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने की प्रबल माँग करती हूँ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील मुख्यालय प्रतापनगर में उपकोषागार खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील मुख्यालय प्रतापनगर में उपकोषागार खोले जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी लाल खण्डवाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में चिकित्सालय भवनों के निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के चिकित्सालय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जगमोहन सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्या याचिका उपस्थित करने के लिए खड़ी नहीं हुईं।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पटुवाडांगर से बसगाँव तक कच्ची रोड को पक्का करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पटुवाडांगर से बसगाँव तक कच्ची रोड को पक्का करने के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद नैनीताल की गेठिया सिंचाई योजना को आरम्भ करवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद नैनीताल की गेठिया सिंचाई योजना को आरम्भ करवाने के सम्बन्ध में श्रीमती मुन्नी देवी एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल के ग्राम पंचायत चोपड़ा वि0ख0 भीमताल के जूनियर हाई स्कूल से सिमलखेत, नौलिया खरक व हैड़ा ग्राम तक पक्का रास्ता व इस बीच में पुलिया व कांजवे निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद नैनीताल के ग्राम पंचायत चोपड़ा विकास खण्ड भीमताल के जूनियर हाई स्कूल से सिमलखेत, नौलिया खरक व हैड़ा ग्राम तक पक्का रास्ता व इस बीच में पुलिया व कांजवे निर्माण के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह जीना एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल में दुर्गापुर पन बिजलीघर को पुनः आरम्भ करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल में दुर्गापुर पन बिजलीघर को पुनः आरम्भ करने के सम्बन्ध में" श्री मुनीर आलम एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल के रूना मोरा में सामूहिक सिंचाई गूल को पक्का करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल के रूना मोरा में सामूहिक सिंचाई गूल को पक्का करने के सम्बन्ध में" श्रीमती नीमा जीना एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट से गेठिया वाया गांजा होते हुए मार्ग के मध्य बलियानाले में ढाकाखेत के निकट पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट से गेठिया वाया गांजा होते हुए मार्ग के मध्य बलियानाले में ढाकाखेत के निकट पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती मुन्नी चौहान एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया वि0खं0 के अन्तार्गत झलाघाट नामक स्थान पर झलाघाट पम्पिंग योजना स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड अन्तर्गत झलाघाट नामक स्थान पर झलाघाट पम्पिंग योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री श्याम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग टिहरी बौराड़ी के अधीन मगरौ–कोटी–माणिक नाथ मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग टिहरी बौराड़ी के अधीन मगरौ–कोटी–माणिक नाथ मोटर मार्ग के मात्र 5 कि0मी0 अवशेष मार्ग के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में" श्री गम्भीर सिंह भण्डारी एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त समस्त सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05 निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा आय सेवायें विभाग, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 522663 हजार (बावन करोड़ छब्बीस लाख तिरसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 522663 हजार (बावन करोड़ छब्बीस लाख तिरसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्य ''वेल'' में आ गये और अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 143113 हजार (चौदह करोड़ इक्तीस लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि

की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 143113 हजार (चौदह करोड़ इकतीस लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 10651100 हजार (एक हजार पैंसठ करोड़ ग्यारह लाख मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 10651100 हजार (एक हजार पैंसठ करोड़ ग्यारह लाख मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3484479 हजार (तीन सौ अड़तालीस करोड़ चौवालीस लाख उन्नासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3484479 हजार (तीन सौ अड़तालीस करोड़ चौवालीस लाख उन्नासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4801734 हजार (चार सौ अस्सी करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4801734 हजार (चार सौ अस्सी करोड़ सत्रह लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

प्रतियाँ वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006

(विधेयक संख्या वर्ष 2006)

31 मार्च, 2007 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए--

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1. इस अधिनियम की संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2006 है। *(संक्षिप्त नाम)*

2. उत्तरांचल की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ--2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ--3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल *(उत्तरांचल की संचित निधि में से वर्ष 2006--2007 के लिए रु0 109254564000 का दिया जाना)*

विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2006 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 3 सन् 2006) की अनुसूची के स्तम्भ–7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके, 109254564000 रुपये (दस हजार नौ सौ पच्चीस करोड़ पैंतालीस लाख चौसठ हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग 3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशि से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01–	विधान सभा	राजस्व	78022	6611	84633
		पूँजी	0	0	0
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	25346	25346
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	268301	0	268301
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	390177	114653	504830
		पूँजी	180001	0	180001
05–	निर्वाचन	राजस्व	156123	0	156123
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2245230	7950	2253180
		पूँजी	1210001	0	1210001

1	2	3			
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	9760412	11432549	21192961
		पूँजी	1858970	4692015	6550985
08—	आबकारी	राजस्व	44208	0	44208
		पूँजी	5000	0	5000
09—	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	39425	39425
		पूँजी	0	5000	5000
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	3274249	0	3274249
		पूँजी	527001	0	527001
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	14622459	0	14622459
		पूँजी	1317774	0	1317774
12—	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3846150	0	3846150
		पूँजी	1370904	0	1370904
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6291233	0	6291233
		पूँजी	40000	0	40000
14—	सूचना	राजस्व	155985	0	155985
		पूँजी	0	0	0
15—	कल्याण योजनायें	राजस्व	1493910	0	1493910
		पूँजी	125503	0	125503
16—	श्रम और रोजगार	राजस्व	656109	0	656109
		पूँजी	168001	0	168001
17—	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	1885434	0	1885434
		पूँजी	39600	0	39600
18—	सहकारिता	राजस्व	217108	0	217108
		पूँजी	150000	0	150000
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	2651955	0	2651955
		पूँजी	552116	0	552116

1	2	3			
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1988737	0	1988737
		पूंजी	3452100	0	3452100
21–	ऊर्जा	राजस्व	459141	1	459142
		पूंजी	4779115	0	4779115
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3094673	30640	3125313
		पूंजी	4414301	0	4414301
23–	उद्योग	राजस्व	883448	0	883448
		पूंजी	1452503	0	1452503
24–	परिवहन	राजस्व	394111	0	394111
		पूंजी	617501	0	617501
25–	खाद्य	राजस्व	165737	0	165737
		पूंजी	50000	0	50000
26–	पर्यटन	राजस्व	237936	0	237936
		पूंजी	578500	0	578500
27–	वन	राजस्व	2984336	0	2984336
		पूंजी	935001	0	935001
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	525502	0	525502
		पूंजी	212898	0	212898
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	608248	2665	610913
		पूंजी	40000	0	40000
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	4251410	0	4251410
		पूंजी	3701841	0	3701841
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	672188	0	672188
		पूंजी	816546	0	816546
	योग	राजस्व	64302532	11659840	75962372
		पूंजी	28595177	4697015	33292192
	महायोग		92897709	16356855	109254564

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री हरीदास, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अनिल नौटियाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री हरबंस कपूर तथा श्री बिजयपाल सिंह सजवाण की कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पहली सूचना वरूणावत पर्वत के भूस्खलन से क्षतिग्रस्त नगर पंचायत एवं जिला पंचायत एवं अन्य भूस्वामियों के व्यवसायिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में किराये पर रह रहे प्रभावित व्यापारियों की दुकानों की पुनर्स्थापना हेतु उद्योग विभाग की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बिजयपाल सिंह सजवाण की सूचना को स्वीकार कर रहा हूँ। चूँकि आज सत्र का अन्तिम दिवस है इसलिए इस पर वक्तव्य नहीं हो पायेगा, अतः मैं निर्देश देता हूँ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पावर कमेटी की दिनांक 27–12–2005 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

दूसरी सूचना राज्य के अधिकारियों / कार्मिकों को आवंटित शासकीय आवासों का कब्जा नहीं दिलाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन की है। मैं इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के ग्राम नागघूणा में विद्युत आपूर्ति नियमित न रहने तथा विद्युत सम्बन्धी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में श्री नारायण राम आर्य, सदस्य वि0स0 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 06 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के ग्राम नागघूणा में पूर्व में विद्युत आपूर्ति अनियमित थी एवं तार झूल रहे थे। वर्तमान में उक्त ग्राम में एल0टी0 के दो पोल लगाकर ग्राउन्ड क्लीरेंस को ठीक कर दिया गया है। 11 के0वी0 लाइन के डिस्क बदलकर एवं ढीले तारों को ठीक करके विद्युत आपूर्ति नियमित कर दी गई है। उक्त ग्राम में टी0पी0एम0ओ0 लगाने का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है एवं इस कार्य को माह जून, 2006 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

जनपद चमोली के वि0खं0 पोखरी के ग्राम पंचायत रड़वा के हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 06 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम पंचायत रड़वा का विद्युतीकरण काफी वर्ष पूर्व किया गया था। वर्तमान में रड़वा की हरिजन बस्ती जिसमें लगभग 24 परिवार रहते हैं विद्युत सुविधाओं से वंचित है। उक्त बस्ती राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

("वेल" में खड़े सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गये।)

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मागे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून
दिनांक : 20 अप्रैल, 2006

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधान सभा/886–17–3–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।